

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

इलीमती नारायणी बनाम श्री श्री लाल गुर्जर

धारा 111, 128 बंद / प्रा0प0 / अपील

प्र0सं0 67/17/15

20.9.17 बाद जाँच बंद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 11.10.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

11.10.17

पत्रावली पेश/ वकीलवादी उपारेपत/ प्रतिवादीगण के नामों को शामिल होकर प्रारम्भ जहाँ पुनः तलवाना सम्मिलित होकर पेश कर पत्रावली दिनांक 20.12.17 को पेश हो।

20.12.17

पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पीठासीन अधिकार जी राज. वा.प. म. 24/17। पत्रावली दिनांक 20.12.17 को पेश हो।

श.ज.
आदेश से रीडर

26.2.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पीठासीन अधिकार जी राज. वा.प. म. 24/17। पत्रावली दिनांक 26.2.18 को पेश हो।

श.ज.
आदेश से रीडर

12.6.18

पत्रावली पेश/ प्राप्रा उपादेपत/ प्रतिवादी मं. उपादेपत/ पत्रावली अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली विपक्ष गण/

पत्रावली पेशल सुमार होकर नम्बर से नाम हो



श.ज. व.ल.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार (आर0ए0एस0)

केस नंबर 2400/रू0

मुकदमा संख्या:- 67/17

1.- श्रीमति नारायणी देवी कल्याणपुर नि. कल्याणपुर

2.-

---प्रार्थीगण

बनाम

1.- श्री लालू पिता श्री धनू राजर नि. कल्याणपुर

2.- रतन पिता मंगू राजर कल्याणपुर

3.- भगवान पिता मेरू राजर ---

4. लाला पिता धनू ---

5 लक्ष्मीलाल हमीरगढ

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 12.6.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर खाता नं 59 एव खाता नं 58 कुल किता 26 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.5.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणपुर पटवार ह0 स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर खाता नं 59 एव खाता नं 58 कुल किता 26 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढको 2400/-रू0 (अक्षरे- दो हजार चार सौ रूपया मात्र)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ